कार्यालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 52/2023 (GCMS 2024/190)
(आईटीआई पोर्टल नं. 212732330081470)

नक्षत्र सिंह पुत्र श्री हमीर सिंह तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ (मोबाईल नम्बर 88750—89377)

बनाम

प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

18.11.2024

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलाथी नक्षत्र सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी नक्षत्र सिंह ने प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 30.07.2024 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी नक्षत्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.07.2024 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

मण्डी रायसिंहनगर के 1928 का मण्डी प्लान नक्शे की 3 तीन प्रमाणित प्रतियां प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, श्रीगंगानगर द्वारा दी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:43:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी अधिकारी, जिला [illegible] कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक जि.अभि./2024/148 दिनांक 04.09.[illegible] से अपीलार्थी को [illegible]नुसार जवाब प्रेषित किया है:

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि आपके द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 27.07.2024 में चाही गई सूचना के सम्बन्ध में क्र.सं. 1 में मण्डी रायसिंहनगर के 1928 की मंडी प्लान नक्शे की 03 प्रमाणित प्रति सूचना के अधिकार के तहत चाही गई है। जो उक्त पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।
>
> **संलग्न : उपरोक्तानुसार।**
>
> -sd-
> प्रभारी अधिकारी
> जिला अभिलेखागार
> कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जो सही है, जिसमें अब किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य हैं। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी वांछित सूचना हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करें तो उसे सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति** प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:43:10 IST
Reason: SelfAttested